अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–न0नि0 50–18/2016–

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–
जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य।

पटना, दिनांक– सितम्बर, 2021

विषय :– नगरपालिका के मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बैठक संबंधी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंगः– राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक 1183 दिनांक 23.09.2020

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको अधीनस्थ नगर निकायों में मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध पारित होने वाले अविश्वास प्रस्ताव की वैधानिक जाँच के उपरान्त हीं प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में नये मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन का प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु विगत कुछ समय से आयोग के संज्ञान में आ रहा है कि आपके स्तर से सम्यक समीक्षा किये बिना ही बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित), बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित), तथा बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव नियामवली, 2010 (यथासंशोधित), के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के बावजूद नगर कार्यपालक पदाधिकारी के तिथि निर्धारण के प्रस्ताव को बिना किसी मंतव्य के आयोग को प्रेषित कर दिया जाता है।

आयोग द्वारा उक्त मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश मामलों में नगर कार्यपालक पदाधिकारी अविश्वास प्रस्ताव हेतु निर्धारित विधिक/विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से निम्नांकित त्रुटियाँ पाई गई हैं –

1. अविश्वास प्रस्ताव के लिए आहुत विशेष बैठक के कारणों का उल्लेख बिहार नगरपालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली–2010 की कंडिका 2 (iv) के आलोक में अनिवार्य है, परन्तु विशेष बैठक के कारणों का उल्लेख निर्गत नोटिस में नहीं किया जाता है।
2. नोटिस प्रायः विशेष बैठक हेतु निर्धारित तिथि के सन्निकट तिथि को निर्गत की जाती है।
3. बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा–49 में नोटिस तामिला की निर्धारित समयावधि नियम समय से 72 घंटे के पूर्व निर्धारित है परन्तु संबंधित सभी वार्ड सदस्यों को नोटिस का तामिला 72 घंटे पूर्व नहीं कराई जाती है।
4. वार्ड सदस्यों को नोटिस का तामिला कराते समय तामिला पंजी पर प्रायः तिथि एवं समय अंकित नहीं किया जाता है। **विशेष रूप से समय का अंकन नहीं होता है।**
5. किसी वार्ड सदस्य के घर पर नहीं रहने/ताला बंदी/नोटिस लेने से इंकार की स्थिती में नोटिस बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा– 377 (घ) (ii) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार (उक्त अधिनियम की धारा में अंकित पता के अनुसार) वार्ड सदस्यों के पता पर नोटिस चिपका कर इसका साक्ष्य (दो स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर) प्राप्त नहीं किया जाता है।
6. वार्ड सदस्यों द्वारा नियामानुसार अविश्वास प्रस्ताव का अध्यापेक्षा देने के उपरांत बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली–2010 की कंडिका (2) (i) में निर्धारित 7 दिनों

के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पर विचारण एवं इसके निमित होने वाले विशेष बैठक के तिथि निर्धारण हेतु बैठक आहुत नहीं की जाती है।

7. अधिकांशः नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा बिहार नगर पालिका अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली–2010 की कंडिका–2 (viii) का उचित निर्वाचन नहीं किया जाता है तथा आयोग को सीधे प्रतिवेदन प्रेषित कर पत्राचार के उचित माध्यम को भंग कर दिया जाता है। ध्यातव्य हो कि उक्त नियमावली कंडिका–2 (viii) में नगर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त को स्थापित प्रोटोकॉल/उचित माध्यम भंग कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत नहीं करता।

उल्लेखनीय है कि आयोग के साथ निर्वाचन के संबंध में पत्राचार जिला पदाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) की अन्तर्निहित शक्ति के तहत किया जाता है।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियामवली–2007 के नियम 92 के अधीन आयोग द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया जाता है :–

(i) प्रस्ताव संशोधित विहित प्रपत्र (संलग्न) में ही उपलब्ध कराया जाए।

(ii) विहित प्रपत्र में यथा स्थान प्रतिहस्ताक्षर अंकित किया जाए।

(iii) विहित प्रपत्र के साथ चेक लिस्ट (संलग्न) की जाँच कर ली जाए।

(iv) अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में आयोग के समक्ष तिथि निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित होने के पूर्व अपने स्तर से उक्त सभी बिन्दुओं की युक्तियुक्त जाँच कर ली जाए तथा बिना स्पष्ट मन्तव्य अंकित किये हुए कि प्रस्ताव नियामानुकूल है, प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जाए।

अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से सभी नगर आयुक्त/उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि उनके स्तर से भी इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सचिव।

– पटना, दिनांक– सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–18/2016– पटना, दिनांक– सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि– सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी, (नगर पालिका) बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–18/2016– 3595 पटना, दिनांक–8 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि– श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।